

आदेश - पत्रक

आदेश नं० 562

(देखें अभिलेख 194 का नियम 129)

453/1314

आदेश पत्रक ता० से तक
 जिला से 200

आदेश की व० सं० और ता०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित										
1	2	3										
	<p>श्री <u>श्रीमती सुजा</u> <u>पत्नी - श्री रामचंद्र शर्मा</u></p> <p>वर्त ग्राम <u>जगदलपुर जलपुर</u> थाना <u>धनशरणा</u> जिला <u>पटना</u> कं बाला नं० दिनांक</p> <p>कं आधार पर निम्नांकित जमीन पर दाखिल खरिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">घांजा का नाम</th> <th style="text-align: left;">नौजरी नं०</th> <th style="text-align: left;">खाना नं०</th> <th style="text-align: left;">खरिज</th> <th style="text-align: left;">दरजगी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>पट्टी 14</u></td> <td></td> <td><u>57</u></td> <td><u>190</u></td> <td><u>900 - only</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दे दें। महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग कर। अभिलेख दिनांक <u>01/9/13</u> को उपस्थित करें।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी</p> <p>महाल पर तामिला नोटिस प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उन लोगों ने आवेदन के नाम दाखिल खरिज करने की अनुशंसा किये हैं। फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल खरिज किया जाता है शुद्धि पत्र निर्गत करें। लिखया एवं भुड किया।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी</p>	घांजा का नाम	नौजरी नं०	खाना नं०	खरिज	दरजगी	<u>पट्टी 14</u>		<u>57</u>	<u>190</u>	<u>900 - only</u>	
घांजा का नाम	नौजरी नं०	खाना नं०	खरिज	दरजगी								
<u>पट्टी 14</u>		<u>57</u>	<u>190</u>	<u>900 - only</u>								

प्रमाणित प्रतिलिपि निर्देश
 बिरहुट नं० दिनांक